

विचार बिन्दु

मानव नक़ल करने वाला प्राणी है और जो सबसे आगे रहता है वो नेतृत्व करता है। -शिलर

अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण -उचित या अनुचित?

उ

उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण विषय पर हाल ही में सुनवाई पूरी की है। यह प्रकरण संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अनुसूचित/जनजातियों की सूची को आरक्षण के लिए विभाजित करने से संबंधित है क्या आरक्षण हुतु किसी प्रकार का उपवर्गीकरण किया जा सकता है या नहीं?

इसकी पृष्ठभूमि इसकी पीठ ने 1975 में एक आदेश के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण पूर्ण में से बालमीकी और मजलीसी सिविली के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया। यह आरक्षण 31 सालों तक चलता रहा। 2004 में आया प्रश्न था कि वे चौथी वाले मालाएं में उच्चतम न्यायालय ने उप वर्गीकृत करने के नियंत्रण को असंवैधानिक घोषित कर दिया इसी आधार पर पंजाब उच्च न्यायालय ने भी 2010 में पंजाब सरकार के नियंत्रण को नीह निरस्त कर दिया। पंजाब सरकार ने 2010 में दूसरा आदेश जारी करते हुए पूछा: अनुसूचित जाति का विभाजन करते हुए कैसे एक आरक्षण जारी किया जाए। इसे भी पंजाब उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक कराया दिया। इसके विरुद्ध पंजाब सरकार का सुन्दर तर्क है कि आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों के अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया है। जब शैक्षिक और सामाजिक रूप से बांगों के लिए वर्गीकृत करने का अधिकार राज्य सरकारों का पास है।

पुनरुक्षण की संभालीय अनुसूचित वर्गीकृत के पक्ष में होता है तो यह ऐलाहासिक बदलाव होगा जिसके द्वारा नीयांगी परिणाम होंगे।

इससे अनुसूचित जाति और जनजाति का पूरा आरक्षण कुछ ही विशेष जातियों तक सीमित होकर नहीं रह जाएगा। उदाहरणात्मक, यास्करण में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का अधिकार लाभ, यास्करण के कुछ जिलों में निवास करने वाले एक ही जनजाति के लोगों द्वारा लिया जाता है। राजस्थान के अन्य भागों में हैन रहने वाली अन्य जनजातियों एवं पंजाबी भारत के लोगों द्वारा जारी करते हुए है। आज वडी दोनों संघर्षों में लोग राजस्थान की नीह नीहीं अनुसूचित है।

विषयवाची जिलों के गरासिया या डंगरुपुर, बांसवाडा जिलों के भीती-भीतों में से शायद ही कोई व्यक्ति किसी अखिल भारतीय सेवा में सीधे चर्चित हुआ होगा। इसके विपरीत उत्तर पूर्वी जिलों के निवासीएक ही जाति के अन्यायीक सदर्द, विभिन्न अलाइल भारतीय सेवोंमें बड़ी संख्या में प्रतिवेष चर्चित होते हैं। कई परिवर्तनों में अनेक सदर्द ए प ए पांच और पांच और मालाएं लाभ लेने से विवर्त हो रही है। कई जिलों के सहरिया, सिराही जिलों के गरासिया या डंगरुपुर, बांसवाडा जिलों के भीती-भीतों में से शायद ही कोई व्यक्ति किया जाता है। इसके विपरीत उत्तर पूर्वी जिलों के निवासीएक ही जाति का अधिकार लाभ लिया है।

विषयवाची जिलों का विवेषण पाठकों के लिए करना आवश्यक है ताकि वह विषय को भीती-भीती समझ सकें। उप वाचीकृत का विवेषण करने वाले पक्ष में सुन्दर तर्क वाले या विवेषण और विभिन्न अनुसूचित जाति को जाना गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में किया जाया गया। इसके लिए आरक्षण का अधिकार लाभ, यास्करण के कुछ जिलों में निवास करने वाले एक ही जनजाति को लोगों द्वारा लिया जाता है। राजस्थान के अन्य भागों में हैन रहने वाली अन्य जनजातियों एवं पंजाबी भारत के लोगों द्वारा जारी करते हुए है। आज वडी दोनों संघर्षों में एक ही अनुसूचित जाति का अधिकार लाभ लिया है।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जातियों में की भीती जातियों का अधिक प्राप्त हो गया है।

कुछ जिलों में अनुसूचित जाति का अधिकार लाभ लिया जाता है। इससे एसे समझाना आवश्यक है। इससे अन्य भागों में पूरी दोनों पक्षों की पूरी बहस सुन ली है और अपना नियंत्रण सुरक्षित रखा है। सभावना है कि अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को जाना गया।

कुछ जिलों में की अनुसूचित जाति के लिए नौकरी में एक ही अनुसूचित जाति को ज